



न्यायालय समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा  
धारा 16(3) अन्तर्गत अग्रक्रय अपीलवाद संख्या-53/2018  
सुधीर कुमार चौधरी --बनाम-- बिन्देश्वरी देवी एवं अन्य

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर   | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित |
|------------------------------|--|--|
| 30/8/2019                    | <p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>प्रस्तुत वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर दरभंगा के ऐरिया सीलिंग (अग्रक्रय, Pre-emption) वाद सं०-19/2012-13 (सुधीर कुमार चौधरी बनाम बिन्देश्वरी देवी एवं अन्य) में दिनांक 04.01.2018 को पारित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी श्री सुधीर कुमार चौधरी द्वारा दायर किया गया है। सामान्य अनुक्रम में वाद प्रतिग्रहित करते हुए संबंधित पक्षकार को नोटिस निर्गत करने तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त करने हेतु निदेशित किया गया। उक्त निदेश के आलोक में निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त है।</p> <p>उल्लेखनीय है कि भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम-1962 की धारा 16(3) को विधि विभाग की अधिसूचना सं०-एल०जी०-01-15/2018/1569/लेज दिनांक 25.02.19 के माध्यम से तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त एवं संशोधित करते हुए अग्रक्रयाधिकार के दावा को उपशमित कर दिये जाने का निदेश प्राप्त है।</p> <p>अतः उपरोक्त विभागीय निदेश के आलोक में अपीलार्थी के अग्रक्रयाधिकार के दावा को उपशमित करते हुए वाद की कार्यवाही को समाप्त की जाती है। अपीलार्थी प्रस्तुत वाद के उपशमित होने के फलस्वरूप जमा की गयी राशि को सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र हैं।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <br/>             समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,<br/>दरभंगा।         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>             समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,<br/>दरभंगा।         </div> </div> |  |

